

राजस्थान आवासन मण्डलः जयपुर



क्रमांक:- प्र०(१)कार्मिक / राजधानीय अधिकारीय संघर्ष विभाग / २०२४ / २३२८

दिनांक:- २९/०१/२४

कार्यालय आदेश

श्री रामचन्द्र गेघवाल, आवासीय अधिकारीय को उप आवासन आयुक्त के पद पर (आरपीआर-२०१७ के अन्तर्गत वैतान अधिकारीय एस-१९, ७००००-१९५००) में नियमित भारी पर तदर्थी रूप से पदोन्नत कर उप आवासन आयुक्त, मूरता-बीकानीर के लिए पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

1. यह पदोन्नति पूरीतया अस्थाई/अविवरणीय अवास के अधिकारीय के लिए नियमित पदोन्नति का बोई अधिकार प्रदत्त किये दी जाती है ।
2. जिस पद से पदोन्नति दी गई है, उस पद पर कली भी पदोन्नति की पांच साली ।
3. इस अस्थाई पदोन्नति से किसी भी प्रकार की वरिष्ठता का लाभ देय नहीं होगा ।
4. उक्त पदोन्नति से किसी भी उच्च पद पर नियमित पदोन्नति में पात्रता एवं वरिष्ठता अवधित रूप भी देय नहीं होगा और वरिष्ठता में कोई परिवर्तन नहीं होगा ।
5. आवश्यक अस्थाई पदोन्नति नियमित पदोन्नति की मौग का आधार नहीं होगा और न ही नियमित पदोन्नति हेतु कोई अधिकार प्रदत्त होगा ।
6. उक्त आवश्यक अस्थाई पदोन्नतियां केवल नियमित पदोन्नति से पदोन्नत राजसेवक उपलब्ध होने तक ही मान्य होगी ।
7. यदि कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक, अपराधिक अथवा भ्रष्टाचार इत्यादि के प्रकरण में दण्ड अधिनिर्णित हो जाये अथवा न्यायालय द्वारा कर्मचारी के पांच में निर्णय पात्रता, यहां एवं योग्यता के आधार पर न होकर तकनीकी आधार पर शासन की वृष्टि में माना गया हो और उस निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील करने अथवा विभागीय जीव यथा नियुक्ति, करने का निर्णय सहाय नियुक्ति अधिकारी द्वारा ले लिया गया हो तो अस्थाई नियुक्ति, नियुक्ति अधिकारी द्वारा पदावनित के आदेश प्रसारित करने की तिथि से समाप्त समझी जायेगी ।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है ।

अल्पा धौधरी
(अल्पा धौधरी)
सचिव

प्रतिलिपि सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी साधिव-आयक्ष / आवासन आयुक्त / मुख्य अभियन्त्र (१) / १/११. राजाम, जयपुर ।
2. निजी साधिव-साधिव / विठ्ठल एवं मुख्यालेखाधिकारी, राजस्थान मण्डल, जयपुर ।
3. संयुक्त शासन साधिव-हितीय, नगरीय विकास विभाग, राज सरकार, जयपुर ।
4. आतिरिक्त मुख्य अभियन्त्र राजाम, जयपुर ।
5. उप आवासन आयुक्त वृत्त आदारीय अभियन्त्र, राजाम, जयपुर ।
6. समस्त प्रकोष्ठ प्रभारी ।
7. संवित श्री ।
8. आयक्ष, राजस्थान आवासन बोई कार्यालय संप ।
9. संवित की निजी/रहित प्रकाशली ।

२९/०१/२४
वरिष्ठ कार्मिक प्रबंधक

File (१५५)



राजस्थान आवासन मण्डलः जयपुर



क्रमांक:- प1(1)कार्मिक / निजी सचिव / पदो. / 2329

दिनांक:- 29/01/24

कार्यालय आदेश

विभागीय पदोन्नति समिति की आयोजित बैठक दिनांक 06.07.2023 की अभिशंषा पर जारी आदेश क्रमांक 766 दिनांक 10.07.2023 के द्वारा निम्नांकित अतिरिक्त निजी सचिव को वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर निजी सचिव के पद पर वर्ष 2023-24 में दिनांक 01.01.2024 को उपलब्ध रिक्ति के विरुद्ध पदोन्नत किया गया है।

पदोन्नत राजसेवकों का नवपदस्थापन उनके नाम के समुख अंकित स्थान पर किया जाता है :-

क्र.सं.	पदोन्नत राजसेवक का नाम	वर्तमान पदस्थापन	नवीन पदस्थापन
1	श्री रतन लाल शर्मा	वृत्त-प्रथम, जयपुर	वृत्त-प्रथम, जयपुर
2	श्री हरी राम मीणा	वृत्त-उदयपुर	वृत्त-उदयपुर

उपरोक्त पदोन्नत राजसेवकों में से क्रम संख्या 01 पर अंकित राजसेवक को 01 वर्ष एवं क्रम संख्या-02 पर अंकित राजसेवक को 02 वर्ष की पदोन्नति हेतु निर्धारित कार्यानुभव में छूट प्रदान की गयी है। अतः इनका वेतन स्थिरीकरण राजस्थान सेवा नियमों के नियम 26 ए के अन्तर्गत किया जावेगा।

उक्त पदोन्नत पद पर संवंधित राजसेवक द्वारा 07 दिवस में उपरिथित नहीं देने की स्थिति में यह समझा जावेगा कि वह उक्त पदोन्नति नहीं लेना चाहता है तथा इस संबंध में उनकी ओर से पदोन्नति फोर-गो (Forego) मानी जावेगी।

पदोन्नत पद के नकद लाभ-परिलाभ नवीन पदस्थापन पर कार्यग्रहण तिथि से देय होंगे।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(अल्पा चौधरी)
सचिव



मालिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- निजी सचिव-अध्यक्ष/अवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
- मुख्य अभियन्ता मुख्यालय / प्रथम / द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
- निजी सचिव-सचिव / विभाग एवं मुख्यलेखाधिकारी, रा०आ० मण्डल, जयपुर।
- अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता / उप आवासन आयुक्त वृत्.....।
- आवासीय अभियन्ता, खण्ड..... राज० आवासन मण्डल,.....।
- सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक), रा०आ० मण्डल, जयपुर।
- संवंधित प्रकोष्ठ मुख्यालय राज० आवासन मण्डल, जयपुर।
- लेखाधिकारी भुगतान / एसीआर/गोपनीय / विधि प्रकोष्ठ, रा०आ० मण्डल, जयपुर।
- संवंधित श्री।
- संवंधित की निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ कार्मिक प्रबंधक

29/01/24

29/01/24

राजस्थान आवासन मण्डलः जयपुर

क्रमांक:- प1(1)कार्मिक/अति.निजी सचिव/पदस्थापन/2024/७३६२



दिनांक :- ६/२/२४

कार्यालय आदेश

राजस्थान आवासन बोर्ड कर्मचारी (भर्ती एवं पदोन्नति) विनियम-2010 के नियम 35 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 18.08.2023 की अभिशंषा अनुसार जारी आदेश क्रमांक 1064 दिनांक 21.08.2023 द्वारा निम्नांकित निजी सहायक को चालु वर्ष की पश्चातवर्ती अवधि में दिनांक 01.02.2024 को उपलब्ध होने वाली रिक्तियों को आगामी वर्ष में आयोजित होने वाली विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक द्वारा नियमित किये जाने की शर्त पर पुनर्विलोकन एवं पुनरीक्षण के आधार पर अतिरिक्त निजी सचिव के पद पर पदोन्नत किये जाने पर इनका पदस्थापन निम्नानुसार किया जाता है :—

क्र.सं.	पदोन्नत राजसेवक का नाम	पदोन्नति से पूर्व पदस्थापन	पदोन्नति पर पदस्थापन
1	श्री राजेश कुमार सारण	मुख्य सम्पदा प्रबंधक प्रकोष्ठ	मुख्य सम्पदा प्रबंधक प्रकोष्ठ
2	श्री विकल्प गोस्वामी	तक.सहा.—आवासन आयुक्त प्रकोष्ठ	आवासन आयुक्त प्रकोष्ठ
3	श्री चन्द्र शेखर खत्री	अध्यक्ष प्रकोष्ठ	अध्यक्ष प्रकोष्ठ

उक्त पदोन्नत पद पर संबंधित राजसेवक द्वारा 07 दिवस में उपस्थिति नहीं देने की स्थिति में यह समझा जावेगा कि वह उक्त पदोन्नति नहीं लेना चाहता है तथा इस संबंध में उनकी ओर से पदोन्नति फोर-गो (Forego) मानी जावेगी।

पदोन्नत पद के नकद लाभ-परिलाभ नवीन पदस्थापन पर कार्यग्रहण तिथि से देय होंगे।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(अल्पा चौधरी)
सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- निजी सचिव—अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
- मुख्य अभियन्ता मुख्यालय / प्रथम / द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
- निजी सचिव—सचिव / विभाग एवं मुख्यलेखाधिकारी, राजस्थान मण्डल, जयपुर।
- अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता / उप आवासन आयुक्त वृत्।
- आवासीय अभियन्ता, खण्ड राजस्थान मण्डल,।
- सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक), राजस्थान मण्डल, जयपुर।
- संबंधित प्रकोष्ठ मुख्यालय राजस्थान मण्डल, जयपुर।
- लेखाधिकारी भुगतान / एसीआर / गोपनीय / विधि प्रकोष्ठ, राजस्थान मण्डल, जयपुर।
- संबंधित श्री।

संबंधित की निजी/रक्षित पत्रावली।

कृष्णपाल
...
१०.१.०५

वरिष्ठ कार्मिक प्रबंधक



राजस्थान आवासन मण्डलः जयपुर

क्रमांक:- प1(1)कार्मिक / सहा.आवा.अधि. / पदस्थापन / 2023/2363

दिनांक :- 01/02/24



कार्यालय आदेश

राजस्थान आवासन बोर्ड कर्मचारी (भर्ती एवं पदोन्नति) विनियम-2010 के नियम 35 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 18.08.2023 की अभिशंपा अनुसार जारी आदेश क्रमांक 1055 दिनांक 21.08.2023 द्वारा निम्नांकित अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी को वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर सहायक आवासन अधिकारी के पद पर वर्ष 2023-24 में दिनांक 01.02.2024 को उपलब्ध रिवित के विरुद्ध (वेतनमात्र 2017 के लेवल एल-12 में वेतन शृंखला 44300-140100) में पदोन्नत किये जाने पर इनका पदस्थापन निम्नानुसार किया जाता है

क्र.सं.	नाम पदोन्नत अधिकारी	वर्तमान पदस्थापन	नवीन पदस्थापन
1	श्री विजय सिंह	मुख्य सम्पदा प्रबंधक प्रकोष्ठ	एसीआर प्रकोष्ठ

उपरोक्त पदोन्नत राजसेवक को कार्यानुभव में 02 वर्ष की छूट प्रदान कर पदोन्नति दी गयी है। अतः इनका वेतन रिथरीकरण राजस्थान सेवा नियमों के नियम 26 ए के अन्तर्गत किया जावेगा।

उक्त पदोन्नत पद पर संवंधित राजसेवक द्वारा 07 दिवस में उपस्थिति नहीं देने की स्थिति में यह समझा जावेगा कि यह उक्त पदोन्नति नहीं लेना चाहता है तथा इस संबंध में उनकी ओर से पदोन्नति फोर-गो (Forego) मानी जावेगी।

पदोन्नत पद के नकद लाभ-परिलाभ नवीन पदस्थापन पर कार्यग्रहण तिथि से देय होंगे।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(अल्पा चौधरी)
सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
- मुख्य अभियन्ता मुख्यालय / प्रथम / द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
- निजी सचिव-सचिव/विभाग एवं मुख्यलेखाधिकारी, रा०आ० मण्डल, जयपुर।
- अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता / उप आवासन आयुक्त वृत्त.....।
- आवासीय अभियन्ता, खण्ड..... राज० आवासन मण्डल,.....।
- सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक), रा०आ० मण्डल, जयपुर।
- संवंधित प्रकोष्ठ मुख्यालय राज० आवासन मण्डल, जयपुर।
- लेखाधिकारी भुगतान / एसीआर/गोपनीय / विधि प्रकोष्ठ, रा०आ० मण्डल, जयपुर।
- संवंधित श्री।
- संवंधित की निजी/रक्षित पत्रावली।



०१२-२०२४

०१०२/२५

वरिष्ठ कार्मिक प्रबंधक

31/1/24

राजस्थान आवासन मण्डलः जयपुर

क्रमांक:- प1(1)कार्मिक /अति.मुख्य अभि./ पदो./ 2024/2369

दिनांक:- 01/02/24



कार्यालय आदेश

विभागीय पदोन्नति समिति की आयोजित बैठक दिनांक 06.07.2023 की अभिशप्ता पर जारी आदेश क्रमांक 769 दिनांक 10.07.2023 के द्वारा निम्नांकित उप आवासन आयुक्त को चालू वर्ष 2023-24 की पश्चातवर्ती अवधि में दिनांक 01.02.2024 को उपलब्ध होने वाली रिक्ति को आगामी वर्ष में आयोजित होने वाली विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक द्वारा नियमित किये जाने की शर्त पर पुनर्विलोकन एवं पुनरीकाण तथा वरिष्ठता-सह-धोगता के आधार पर अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता के पद पर पदोन्नत किया गया है।

पदोन्नत राजसेवक का नवपदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर किया जाता है :-

क्र. सं.	पदोन्नत राजसेवक का नाम	पदोन्नति से पूर्व पदस्थापन	पदोन्नति पर पदस्थापन
1	श्री भंवर लाल स्वामी	तक सहा.—आवासन आयुक्त	अध्यक्ष, आवास विकास संस्थान अवसायन समिति, जयपुर

श्री भंवर लाल स्वामी अपने कार्य के साथ-साथ तक सहा.—आवासन आयुक्त के रिक्त पद का अतिरिक्त कार्य वैकल्पिक व्यवस्थार्थ, अग्रिम आदेशों तक सम्पादित करेंगे।

उपरोक्त पदोन्नत राजसेवक को 01 वर्ष का अनुभव में शिथिलता प्रदान कर पदोन्नति प्रदान की गई है। अतः इनका वेतन स्थिरीकरण राजस्थान सेवा नियमों के नियम 26 ए के अन्तर्गत किया जावेगा।

उक्त पदोन्नत पद पर संबंधित राजसेवक द्वारा 07 दिवस में उपरिथित नहीं देने की स्थिति में यह समझा जावेगा कि वह उक्त पदोन्नति नहीं लेना चाहता है तथा इस संबंध में उनकी ओर से पदोन्नति फोर-गो (Forego) मानी जावेगी।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

अंकुडापन

०१/०२/२४

अल्पा चौधरी
सचिव



राजस्थान आवासन मण्डलः जयपुर

क्रमांक:- प1(1)कार्मिक / उप.आवा. आयु. / पदस्थापन / 2024/2370



दिनांक:- 01/02/24

कार्यालय आदेश

विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 06.07.2023 की अभिशंषा पर जारी आदेश क्रमांक 770 दिनांक 10.07.2023 के द्वारा निम्नांकित आवासीय अभियन्ता को वर्ष 2023-24 में दिनांक 01.02.2024 को उपलब्ध रिक्ति के विरुद्ध वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर उप आवासन आयुक्त के पद पर पदोन्नति किया गया है।

पदोन्नत राजसेवक का नवपदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर किया जाता है :-

क्र. सं.	पदोन्नत राजसेवक का नाम	पदोन्नति से पूर्व पदस्थापन	पदोन्नति पर पदस्थापन
1	श्री संजय शर्मा	आवासीय अभियन्ता, परियोजना शाखा	उप आवासन आयुक्त, परियोजना शाखा

श्री संजय शर्मा अपने कार्य के साथ-साथ उप आवासन आयुक्त, वृत्त-तृतीय, जयपुर के रिक्त पद का अतिरिक्त कार्य वैकल्पिक व्यवस्थार्थ, अग्रिम आदेशों तक सम्पादित करेंगे।

उक्त पदोन्नत पद पर संबंधित राजसेवक द्वारा 07 दिवस में उपरिथिति नहीं देने की स्थिति में यह समझा जावेगा कि वह उक्त पदोन्नति नहीं लेना चाहता है तथा इस संबंध में उनकी ओर से पदोन्नति फोर-गो (Forego) मानी जावेगी।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(अल्पा चौधरी)
सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त/मु.अभि. (मु.)/१/ा, राआम, जयपुर।
- निजी सचिव-सचिव/वि०स० एवं मुख्यलेखाधिकारी, रा०आ० मण्डल, जयपुर।
- अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता/उप आवासन आयुक्त वृत्त.....।
- आवासीय अभियन्ता, खण्ड..... राज० आवासन मण्डल,.....।
- सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक), रा०आ० मण्डल, जयपुर।
- संबंधित प्रकोष्ठ मुख्यालय राज० आवासन मण्डल, जयपुर।
- लेखाधिकारी भुगतान/ एसीआर/ गोपनीय /विधि प्रकोष्ठ, रा०आ० मण्डल, जयपुर।
- संबंधित श्री।
- संबंधित की निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

भ्रम्भापन

०१०२१२५

वरिष्ठ कार्मिक प्रबंधक



राजस्थान आवासन मण्डलः जयपुर

क्रमांक:- प1(1)कार्मिक/उप.आवा. आयु./पदस्थापन/2024/2371



दिनांक:- 01/02/24

कार्यालय आदेश

विभागीय पदोन्नति समिति की आयोजित बैठक दिनांक 06.07.2023 की अग्रिमांश पर जारी आदेश क्रमांक 770 दिनांक 10.07.2023 के द्वारा द्वारा निम्नांकित आवासीय अभियन्ता को चालु वर्ष 2023-24 की पश्चातवर्ती अवधि में दिनांक 01.02.2024 को उपलब्ध होने वाली रिक्ति को आगामी वर्ष में आयोजित होने वाली विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक द्वारा नियमित किये जाने की शर्त पर पुनर्विलोकन एवं पुनरीक्षण तथा वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर उप आवासन आयुक्त के पद पर पदोन्नत किया गया है।

पदोन्नत राजसेवक का नवपदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर किया जाता है :-

क्र. सं.	पदोन्नत राजसेवक का नाम	पदोन्नति से पूर्व पदस्थापन	पदोन्नति पर पदस्थापन
1	श्री विश्वनाथ शुक्ला	आवासीय अभियन्ता, मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय) प्रकोष्ठ	उप आवासन आयुक्त, वृत्त-वीकानेर

श्री विश्वनाथ शुक्ला अपने कार्य के साथ-साथ उप आवासन आयुक्त, मुख्यालय, जयपुर के रिक्त पद का अतिरिक्त कार्य बैकल्पिक व्यवस्थार्थ, अग्रिम आदेशों तक सम्पादित करेंगे।

उक्त पदोन्नत पद पर संबंधित राजसेवक द्वारा 07 दिवस में उपस्थिति नहीं देने की स्थिति में यह समझा जावेगा कि वह उक्त पदोन्नति नहीं लेना चाहता है तथा इस संबंध में उनकी ओर से पदोन्नति फोर-गो (Forego) मानी जावेगी।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

अल्पा चौधरी
(अल्पा चौधरी)
सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त/मु.अभि (मु.)/I/II, राआम, जयपुर।
- निजी सचिव-सचिव/विभाग एवं मुख्यलेखाधिकारी, राजस्थान मण्डल, जयपुर।
- अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता
- आवासीय अभियन्ता, खण्ड उप आवासन आयुक्त वृत्त।
- सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक), राजस्थान मण्डल, जयपुर।
- संबंधित प्रकोष्ठ मुख्यालय राजस्थान मण्डल, जयपुर।
- लेखाधिकारी भुगतान/एसीआर/गोपनीय/विधि प्रकोष्ठ, राजस्थान मण्डल, जयपुर।
- संबंधित श्री
- संबंधित की निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

प्राप्ति

01/02/24

वरिष्ठ कार्मिक प्रबंधक



राजस्थान आवासन मण्डलः जयपुर

क्रमांक:- प1(1)कार्मिक/आवा. अभि./पदस्थापन/2024/2372

दिनांक:- 01/02/24

कार्यालय आदेश

विभागीय पदोन्नति समिति की आयोजित बैठक दिनांक 06.07.2023 की अभिशंखा पर जारी आदेश क्रमांक 761 दिनांक 10.07.2023 के द्वारा निम्नांकित परियोजना अभियन्ता (वरिष्ठ) को वर्ष 2023-24 में उनके नाम के समुख अंकित रिक्ति के विरुद्ध वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर आवासीय अभियन्ता के पद पर पदोन्नति किया गया है।

पदोन्नत राजसेवकों का नवपदस्थापन उनके नाम के समुख अंकित स्थान पर किया जाता है :-

क्र. सं.	पदोन्नत राजसेवक का नाम	रिक्ति दिनांक	पदोन्नति से पूर्व पदस्थापन	पदोन्नति पर पदस्थापन
1	श्री मुकेश मोदी	01.11.2023	परियोजना अभियन्ता (व.), खण्ड-पंचम, जयपुर	आवासीय अभियन्ता, खण्ड-हितीय, जयपुर
2	श्री अशोक कुमार अग्रवाल	01.02.2024	परियोजना अभियन्ता (व.), अति. मुख्य अभि-प्रथम, जयपुर प्रकोष्ठ	आवासीय अभियन्ता, खण्ड-दशम, जयपुर
3	श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा	01.02.2024	परियोजना अभियन्ता (व.), खण्ड-बारह, जयपुर	आवासीय अभियन्ता, खण्ड-बीकानेर

उक्त पदोन्नत पद पर संबंधित राजसेवक द्वारा 07 दिवस में उपरिधिति नहीं देने की स्थिति में यह समझा जावेगा कि वह उक्त पदोन्नति नहीं लेना चाहता है तथा इस संबंध में उनकी ओर से पदोन्नति फोर-गो (Forego) मानी जावेगी।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

अल्पा चौधरी
(अल्पा चौधरी)
सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- निजी संविद-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त/मु.अभि. (मु.)/।।।, राजाम, जयपुर।
- निजी संविद-संविद/विभाग एवं मुख्यलेखाधिकारी, राजाम मण्डल, जयपुर।
- अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता /उप आवासन आयुक्त वृत्त..... |
- आवासीय अभियन्ता, खण्ड..... राजाम आवासन मण्डल,..... |
- सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक), राजाम मण्डल, जयपुर।
- संबंधित प्रकोष्ठ मुख्यालय राजाम आवासन मण्डल, जयपुर।
- लेखाधिकारी भुगतान/एसीआर/गोपनीय/विधि प्रकोष्ठ, राजाम मण्डल, जयपुर।
- संबंधित श्री
- संबंधित की निजी पत्राधारी/रक्षित पत्राधारी।

वरिष्ठ कार्मिक प्रबंधक



21/2/24

C

01/02/24

राजस्थान आवासन मण्डलः जयपुर

क्रमांक:- प1(1)कार्मिक / लेखाधिकारी / पदस्थापन / 2024 / 2373

दिनांक:- 01/02/24



कार्यालय आदेश

विभागीय पदोन्नति समिति की आयोजित बैठक दिनांक 06.07.2023 की अभिशंषा पर जारी आदेश क्रमांक 763 दिनांक 10.07.2023 के द्वारा निम्नांकित सहायक लेखाधिकारी—प्रथम को वर्ष 2023–24 में दिनांक 01.12.2023 को उपलब्ध रिक्ति के विरुद्ध वरिष्ठता—सह—योग्यता के आधार पर लेखाधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया है।

पदोन्नत राजसेवक का नवपदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर किया जाता है :—

क्र. सं.	पदोन्नत राजसेवक का नाम	पदोन्नति से पूर्व पदस्थापन	पदोन्नति पर पदस्थापन
1	श्री जय सिंह	सहायक लेखाधिकारी—प्रथम, लेखाधिकारी (भुगतान) प्रकोष्ठ	लेखाधिकारी, लागत (मु.), जयपुर

श्री जय सिंह अपने कार्य के साथ—साथ भण्डार प्रकोष्ठ में अतिरिक्त कार्य वैकल्पिक व्यवस्थार्थ अग्रिम आदेशों तक सम्पादित करेंगे।

उपरोक्त पदोन्नत राजसेवक को 02 वर्ष का अनुभव में शिथिलता प्रदान कर पदोन्नति प्रदान की गई है। अतः इनका वेतन स्थिरीकरण राजस्थान सेवा नियमों के नियम 26 ए के अन्तर्गत किया जावेगा।

उक्त पदोन्नत पद पर संबंधित राजसेवक द्वारा 07 दिवस में उपस्थिति नहीं देने की स्थिति में यह समझा जावेगा कि वह उक्त पदोन्नति नहीं लेना चाहता है तथा इस संबंध में उनकी ओर से पदोन्नति फोर—गो (Forego) मानी जावेगी।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

अल्पा चौधरी
सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- निजी सचिव—अध्यक्ष/आवासन आयुक्त/मु.अभि (मु.)/1/ग, राआम, जयपुर।
- निजी सचिव—सचिव/विऽस० एवं मुख्यलेखाधिकारी, रा०आ० मण्डल, जयपुर।
- अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता /उप आवासन आयुक्त वृत.....।
- आवासीय अभियन्ता, खण्ड..... राज० आवासन मण्डल,.....।
- सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक), रा०आ० मण्डल, जयपुर।
- संबंधित प्रकोष्ठ मुख्यालय राज० आवासन मण्डल, जयपुर।
- लेखाधिकारी भुगतान / एसीआर/गोपनीय /विधि प्रकोष्ठ, रा०आ० मण्डल, जयपुर।
- संबंधित श्री।
- संबंधित की निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ कार्मिक प्रबंधक



राजस्थान आवासन मण्डलः जयपुर

क्रमांक:- प1(1)कार्मिक /लेखाधिकारी /पदस्थापन/2024/2374

दिनांक:- 01/02/24

कार्यालय आदेश

विभागीय पदोन्नति समिति की आयोजित बैठक दिनांक 06.07.2023 की अभिशंषा पर जारी आदेश क्रमांक 771 दिनांक 10.07.2023 के द्वारा निम्नांकित सहायक लेखाधिकारी—प्रथम रिक्ति को आगामी वर्ष में आयोजित होने वाली विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक द्वारा नियमित किये जाने की शर्त पर पुनर्विलोकन एवं पुनरीक्षण तथा वरिष्ठता—सह—योग्यता के आधार पर लेखाधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया है।

पदोन्नत राजसेवक का नवपदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर किया जाता है :-

क्र. रां.	पदोन्नत राजसेवक का नाम	पदोन्नति से पूर्व पदस्थापन	पदोन्नति पर पदस्थापन
1	श्री राजेश रूप राय	सहायक लेखाधिकारी—प्रथम, खण्ड—पीएचई, जोधपुर	लेखाधिकारी, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता—द्वितीय, जोधपुर कार्यालय

श्री राजेश रूप राय वैकल्पिक व्यवस्थार्थ अपने कार्य के साथ—साथ अग्रिम आदेशों तक खण्ड—पीएचई, जोधपुर में अतिरिक्त कार्य सम्पादित करेंगे।

उपरोक्त पदोन्नत राजसेवक को 02 वर्ष का अनुभव में शिथिलता प्रदान कर पदोन्नति प्रदान की गई है। अतः इनका वेतन स्थिरीकरण राजस्थान सेवा नियमों के नियम 26 ए के अन्तर्गत किया जावेगा।

उक्त पदोन्नत पद पर संबंधित राजसेवक द्वारा 07 दिवस में उपस्थिति नहीं देने की रिति में यह समझा जावेगा कि वह उक्त पदोन्नति नहीं लेना चाहता है तथा इस संबंध में उनकी ओर से पदोन्नति फोर—गो (Forego) मानी जावेगी।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

अल्पा चौधरी
(अल्पा चौधरी)
सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- निजी सचिव—अध्यक्ष/आवासन आयुक्त/मु.असि. (मु.)/१/ा, राआम, जयपुर।
- निजी सचिव—सचिव/विंस० एवं मुख्यलेखाधिकारी, रा०आ० मण्डल, जयपुर।
- अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता /उप आवासन आयुक्त वृत..... |
- आवासीय अभियन्ता, खण्ड..... राज० आवासन मण्डल,..... |
- सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक), रा०आ० मण्डल, जयपुर।
- संबंधित प्रकोष्ठ मुख्यालय राज० आवासन मण्डल, जयपुर।
- लेखाधिकारी भुगतान/ एसीआर/ गोपनीय /विधि प्रकोष्ठ, रा०आ० मण्डल, जयपुर।
- संबंधित श्री
- संबंधित कार्यकारी निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।



२२-११८५८

०१०२१२४

वरिष्ठ कार्मिक प्रबंधक

२११२४